



दिनांक 26.02.2024

प्रेस विज्ञप्ति 29 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर / थाना नॉलेज पार्क

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 25.02.2024 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शारदा गोलचक्कर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ भीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क पर पंजीकृत गैंगेस्टर एकट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिशनरेट स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—भूपेन्द्र उर्फ भीम निवासी ग्राम हेतलपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

जनपद इटावा / थाना चौबिया

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 ट्रक
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 25 / 26.02.2024 की रात्रि थाना चौबिया व थाना ऊसराहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसनाई अड्डा तिराहे से खेडाहेलू मोड़ पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—आविद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—राजीव सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य

अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 ट्रक, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना चौबिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आविद निवासी लक्ष्मनिया थाना बरुराज जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार।

2—राजीव निवासी नगला बंधा थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगी

1—01 ट्रक।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना घुंघटेर

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 40 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 405.5 ग्राम अवैध मारफीन बरामद

दिनांक: 25.02.2024 को थाना घुंघटेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भदेशिया मोड़ के पास से अभियुक्त अताउल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 405.5 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना घुंघटेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अताउल्ला निवासी ग्राम टिकरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 40 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 405.5 ग्राम अवैध मारफीन।

- जनपद उन्नाव/थाना बारासगवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना बारासगवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गोविन्द को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बदायूं/थाना इस्लामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूं द्वारा थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामभरोसे को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद गोणडा/थाना को0 करनैलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 43—43 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोणडा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोणडा द्वारा थाना को0 करनैलगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—इस्माईल 2—इरफान को आजीवन कारावास व 43—43 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हरदोई/थाना बिलग्राम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 / 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लखपति उर्फ लाखन को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सीतापुर/थाना रामकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामकोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 / 201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विजय कुमार को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद उन्नाव/थाना असोहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना असोहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3 / 4 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मैनपुरी/थाना बरनाहल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मैनपुरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मैनपुरी द्वारा थाना बरनाहल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2 / 3 गैंगेस्टर एकट के अन्तर्गत अभियुक्त भूरा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

► जनपद हरदोई/थाना पाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 08 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि व 3/25 आम्स एकट के अन्तर्गत अभियुक्त रामकुमार को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
